कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2016/FCA/PCCF/CCFEDS-I Dated 7.8.2018

Executive Engineer PWD, Sikandra, Rajasthan Jaipur के द्वारा दौसा एवं करौली जिले के वन मंडल दौसा प्रादेशिक की 0.4896 है0 एवं करौली वन मण्डल की 0.5004 है0 कुल 0.99 है0 में **Construction of Missing Link Road From Udaipura Road to Toda Bheem Road** सडक के निर्माण कार्य हेतु **0.99** हेक्टयर वन भूमि के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव ऑनलाइन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/26222/2017 पर दिनांक 23. 11.2017 को रजिस्टर किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:–

1. मुख्य वन संरक्षक जयपुर द्वारा पार्ट ।।। में 0.99 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गई है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वन मंडल दौसा के द्वारा मात्र 0.4896 है0 वन क्षैत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः संशोधित पार्ट ।।। संलग्न किया जाना प्रसतावित है।
2. उप वन संरक्षक करौली के ऑनलाईन प्रसताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया जबकि हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट ।। में अंकित नही है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक वृक्षों की सूची संलग्न नही की गई है।
3. उप वन संरक्षक करौली द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तित वन भूमि का दुगना क्षैत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक दौसा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नही ली गई है। प्रस्ताव 1 है0 से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षो के दस गुना वृक्षो का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स अंकित नही किये गये है। एवं जी0टी0शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नही की गई है।
4. उप वन संरक्षक करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गई है जो उचित प्रतीत नही होता है अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनबाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।
5. उप वन संरक्षक करौली द्वारा पार्ट । एवं पार्ट ।। किसी भी दस्तावेज पर हसताक्षर नही किये गये जो प्रसतावित है।
6. यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नही किया गया है।
7. एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षैत्र पी0एफ0 अंकित किया गया है जबकि करौली जिले का वन क्षैत्र आरक्षित वन की श्रेणी में आता है संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।
8. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट । के बिन्दु संलग्न **DGPS map** में वन भूमि के सम्पूर्ण कानर्स के अक्षांश देशान्तर संलग्न नही किये गये है।
9. यूजर ऐजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नही होान अवगत कराया गया है इस पर उप वन संरक्षक करौली एवं दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नही की गई है। विकल्पो का विवरण भी संलग्न नही किया गया है।
10. यूजर ऐजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौडाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।
11. प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चेनऐज संख्या 0/220 से 0/937 तक पहाडी क्षैत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न क्रास सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाडी

क्षैत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रसताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है कटाई के दौरान निकले गये मलबा के संबंध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

12. यूजर ऐजेन्सी दोनो प्रस्तावों को सम्मिलित कर एक्जाई प्रस्तुत करे एवं समस्त पृष्ठाों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनांक के प्रस्तुत किये जावे।

उक्तानुसार सूचना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर/मुख्य वन संरक्षक भरतपुर को भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

23/8

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR